

राजस्थान सरकार
उच्च शिक्षा (ग्रुप-3) विभाग

ई-मेल : higheredu3@rajasthan.gov.in, higheredu3@gmail.com, दूरभाष : 0141-5153222, 5153223, 5153660 (आई.पी. नं. : 24870)

क्रमांक प. 6(1)शिक्षा/ग्रुप-3/2024-03501

जयपुर, दिनांक: 07.03.2024

—:आदेश:—

बजट वर्ष 2024-25 की घोषणा के बिन्दु संख्या 27 यथा – “सभी वंचित वर्गों तक भी शिक्षा की पहुँच को सुलभ करने की दृष्टि से, मैं आगामी वर्ष से अल्प आय वर्ग, लघु/सीमान्त/बटाईदार किसानों और खेतिहर श्रमिकों के परिवार के छात्र-छात्राओं को KG से PG तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने की घोषणा करती हूँ।”

उल्लेखनीय है कि सभी वर्ग की छात्राओं/महिलाओं को प्रवेश के समय ली जाने वाली शुल्क में से राजकीय निधि कोष की राशि को माफ किये जाने की स्वीकृति इस विभाग के आदेश क्रमांक प. 6(3)/शिक्षा/ग्रुप-3/2019 दिनांक 05.03.2019 द्वारा प्रदान की हुई है।

अतः उक्त बजट घोषणा की अनुपालना में आगामी (सत्र) वर्ष से अल्प आय वर्ग (रु. 2.50 लाख तक वार्षिक आय), लघु/सीमान्त/बटाईदार किसानों और खेतिहर श्रमिकों के परिवारों के राजकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को मुख्यमंत्री किसान शिक्षा प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत राजकीय निधि कोष की देय राशि माफ किये जाने की स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है।

यह स्वीकृति वित्त (व्यय-1) विभाग की आई.डी. संख्या 152400435 दिनांक 05.03.2024 से प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(डॉ. अनिल कुमार)

शासन उप सचिव प्रथम

Signature valid

RajKaj Ref
5997285



Digitally signed by Anil Kumar
Paliwal
Designation : Deputy Secretary
Date: 2024.03.07 15:31:29 IST
Reason: Approved

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. महालेखाकार लेखा एवं हक, राजस्थान, जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. विशिष्ट सहायक, माननीय उपमुख्यमंत्री, उच्च शिक्षा।
5. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग।
7. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-1) विभाग।
8. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग।
9. संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग।
10. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
11. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव प्रथम

Signature valid

RajKaj Ref
5997285

Digitally signed by Anil Kumar
Paliwal
Designation : Deputy Secretary
Date: 2024.03.07 15:31:29 IST
Reason: Approved

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur-302015, Rajasthan

Website: <http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/>

e-mail: jdacad1960@gmail.com Ph.: 0141-2706550

क्रमांक: एफ7(4)अकाद/आकाशि/मुपत शिक्षा/2024-03206/

दिनांक:--

विषय:-- अल्प आय वर्ग, लघु/सीमांत/बटाईदार किसानों और खेतिहर श्रमिकों के परिवारों के अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को राजकीय महाविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2024-25 से मुख्यमंत्री किसान शिक्षा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत राजकीय निधि कोष की देय राशि माफ किए जाने के संबंध में।

संदर्भ:-- उप शासन सचिव-प्रथम का आदेश क्रमांक प. 6(1)शिक्षा/ग्रुप-3/2024-03501 जयपुर, दिनांक 07.03.2024।

संदर्भित आदेश की प्रति संलग्न कर लेख है कि संबंधित आदेश की पालना में कार्यवाही सुनिश्चित करावें।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ हेतु :-

1. सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजभवन, जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, आयुक्त कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
6. शासन उप सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप-3) विभाग राजस्थान, जयपुर।
7. संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. समस्त संयुक्त निदेशक, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, जयपुर।
9. प्राचार्य, समस्त राजकीय महाविद्यालय, राजस्थान।
10. प्रभारी, आई.टी. सेल, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, जयपुर।
11. वेबसाइट प्रभारी, कॉलेज शिक्षा, राज. जयपुर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने बाबत।
12. रक्षित पत्रावली।

(हर्ष सावन सुखा)

आयुक्त,

कॉलेज शिक्षा राज.

Signature valid

RajKaj Ref
6017567



Digitally signed by Harsh Sawansukha
Designation : Joint Secretary To
Government
Date: 2024.03.07 15:21:53 IST
Reason: Approved